DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

मुद्दा

क्या आप मानते हैं कि दिल्ली के नियोजित विकास में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अहम भूमिका अदा की है?

क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में कुप्रबंधन को दूर कर इसे लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया muddad@jagran.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण IV
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022
www.jagran.com

घर और बजट के बीच कुप्रबंधन

- 1957 में डीडीए के गठन के समय नहीं थी अनधिकृत कालोनी
- 2022 में 2000 अनधिकृत कालोनी है
- 1731 कालोनियों में मालिकाना हक देने की प्रक्रिया चल रही

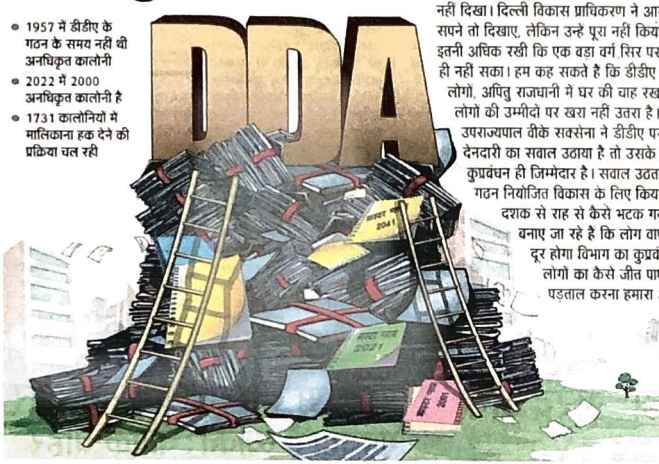

इलस्ट्रेशन : अवधेश

आजादी के बाद से अब तक दिल्ली का विकास तो हुआ, लेकिन यह कितना नियोजित रहा, यह बड़ा प्रश्न है। वजह, बढ़ती आबादी के अनुपात में यहां नागरिक सुविधाएं नहीं हैं। आवास की समस्या को ही लें। आम आदमी को उसके सपनों का घर मुहैया कराने की योजनाएं तो खूब बनीं, पर राजनीतिक हस्तक्षेप ने उन्हें बेपटरी कर दिया। नतीजा दिल्ली अनियोजित रूप लेती चली गई। तभी आज यहां दो हजार के आसपास अवैध कालोनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अनियोजित विकास को लेकर चेताया भी, लेकिन सुधार नहीं दिखा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आम आदमी को घर के सपने तो दिखाए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया या घर की कीमत इतनी अधिक रखी कि एक बड़ा वर्ग सिर पर छत की बात सोच ही नहीं सका। हम कह सकते हैं कि डीडीए न सिर्फ दिल्ली के लोगों, अपितु राजधानी में घर की चाह रखने वाले एनसीआर के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। आज यदि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए पर 10 हजार करोड़ की देनदारी का सवाल उठाया है तो उसके लिए प्राधिकरण का कुप्रबंधन ही जिम्मेदार है। सवाल उठता है कि जिस डीडीए का गठन नियोजित विकास के लिए किया गया था, वह बीते दो दशक से राह से कैसे भटक गया? इतने खराब आवास बनाए जा रहे हैं कि लोग वापस लौटा रहे हैं? कैसे दूर होगा विभाग का कुप्रबंधन? आवास के साथ लोगों का कैसे जीत पाएगा विश्वास? इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है :

डीडीए अपने एक्ट का पालन करे तो सुधर जाएं हालात

दुनू राय
प्रोफेसर, ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, आइआइटी, दिल्ली

खुद से करे ये सवाल

- पिछली योजनाएं क्यों प्लाप हुईं
- क्यों नहीं बिक पाए फ्लैट
- क्यों लोगों ने फ्लैट लौटा दिए
- खरीदार क्या चाहते हैं

इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) विश्व की सबसे बड़ी और अमीर रियल एस्टेट एजेंसी है। लेकिन, यह भी कड़वा सच है कि समय के साथ-साथ डीडीए अपनी कार्यशैली और साख को दागमुक्त नहीं रख पाया। यही वजह है कि डीडीए पर न केवल हजारों करोड़ की देनदारी हो गई है, बल्कि इसकी योजनाएं भी अब प्लाप होने लगी हैं। इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या होगी कि डीडीए के फ्लैट तक कोई खरीदना नहीं चाहता।

पीछे मुड़कर देखें तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह स्थिति शुरू से नहीं थी। सन् 1957 में अपने गठन से लेकर 1980 तक डीडीए ने दिल्ली में बहुत विकास किया। वर्ष 1962 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान आया और 1982 में दूसरा। इन 20 सालों में डीडीए ने काफी काम किया, आजादी के बाद पाकिस्तान से आए पांच से छह लाख शरणार्थियों को 100 से अधिक कालोनियों में बसाया। तमाम कालोनियों में बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया।

1980 के बाद भूमाफिया ने अपनी शक्तियों और पहुंच का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक हलकों में डीडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि निजी बिल्डरों को भी डीडीए से जमीन लेकर उस पर काम करने की इजाजत मिल गई। डीडीए ने भी ऐसा होने दिया और अपने हाथ खुद काट लिए। इसके बाद से ही डीडीए का डाउनफाल शुरू हो गया।

जरूरी है योजना पूर्व सर्वेक्षण : डीडीए अपनी बदहाली के लिए भी खुद ही जिम्मेदार है। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में साफ लिखा है कि डीडीए वित्तीय प्लान भी बनाएगा और जिसमें आय व्यय का सारा ब्यौरा होगा। लेकिन डीडीए ने ऐसा नहीं किया। यह प्लान 20 साल का होता है, यदि बनाया जाता तो एक प्रकार की जवाबदेही बनी रहती। औद्योगिक, व्यावसायिक और रिहायशी क्षेत्रों में भी डीडीए उतना काम नहीं कर पाया, जितना कि उसको करना चाहिए था। समय के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी खत्म होती गई।

आलम यह हो गया कि दूसरे विभागों के अधिकारी यहां डेपुटेशन पर आकर अपना उल्लू सीधा करने लगे। आम जनता अपने कामों के लिए परेशान होती रहती है जबकि डीडीए अधिकारी अपने में ही मस्त रहते हैं। अपने मुंह मियां ही मिट्ठू बने रहते हैं। इस सबके बावजूद डीडीए की स्थिति में सुधार अभी भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करना भी नहीं है। अगर डीडीए केवल अपने एक्ट के अनुरूप ही चलना शुरू कर दे तो स्थिति बदलने लगेगी। एक्ट कहता है कि कोई भी योजना बनाने से पहले उसे लेकर सर्वेक्षण जरूर कराएं। अगर ऐसा हो तो बहुत सारी वो अड़चनें पहले ही दूर हो जाएंगी जिनसे बाद में जूझना पड़ता है। योजना से जुड़े पक्षकार अपनी अपेक्षा भी बता पाएंगे। लेकिन विडंबना ही है कि 1962 के बाद डीडीए ने कोई सर्वे नहीं किया।

डीडीए जनता का भरोसा नहीं जीत पाया : डीडीए के अधिकारी इस सबसे बेखबर वर्ष 2014 से आवासीय योजना के नाम पर भी खानापूर्ति ही कर रहे हैं। इसीलिए अब लोग डीडीए के फ्लैट खरीदने में रुचि ही नहीं ले रहे। इन सॉर्ट डेवलपमेंट यानी जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति है। अगर कठपुतली कालोनी प्रोजेक्ट की ही बात करें तो दो साल में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट सात साल में भी पूरा नहीं हो सका। जितना हुआ है, उतना भी खामी मुक्त नहीं है। अब यह बात अलग है कि डीडीए के आला अधिकारी अपनी खामियां छिपाने के लिए सब कुछ अच्छा बताते रहें। अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने के नाम पर भी डीडीए जनता का भरोसा नहीं जीत पाया है। मेरा मानना है कि एक सरकारी विभाग की तरह काम न करते हुए अगर डीडीए का स्टाफ जवाबदेही, ईमानदारी और निजी बिल्डरों से प्रतिस्पर्धा रखते हुए काम करें तो खोया हुआ सम्मान वापस पाना बहुत मुश्किल नहीं है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट के जरिये डीडीए की बदहाली बयां कर इसकी बेहतरी के लिए सुझाव मांगकर इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल की है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और सभी वर्गों का सहयोग भी करना चाहिए।

-संजीव गुप्ता से बातचीत पर आधारित।

सिर्फ पैसे वालों के लिए मकान बनाने में लगा रहा विकास प्राधिकरण

सुशील कुमार
अध्यक्ष, द्वारका फोरम

राजधानी के सुनियोजित विकास में दिल्ली विकास प्राधिकरण पूरी तरह से नाकाम रहा है। इसमें विभागीय लापरवाही के साथ ही विभिन्न कमेटियों में राजनेताओं का सदस्य होना भी प्रमुख कारणों में से एक रहा है। राजनेता अपने हिसाब से ही योजना बनवाने लगे और इससे आम जनता को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। आज के समय में अगर यह कहें कि डीडीए सिर्फ पैसे वालों के लिए ही मकान बनाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। द्वारका जैसे इलाके में साधारण व्यक्ति फ्लैट लेने की सोच भी नहीं सकता है। डीडीए की ओर से 1962, 1990 व 2007 में मास्टर प्लान तैयार किया गया, लेकिन जरूरत के मुताबिक जमीन को नोटीफाइड नहीं किया जा सका, जिसका फायदा उठाकर सैकड़ों की संख्या में अनियोजित कालोनियां बस दी गईं। हालात यह है कि वर्ष 2004 से 2013 के बीच सिर्फ 10 प्रतिशत घर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जा सका। ऐसे में आम जनता ने डीडीए से बिल्कुल ही आस छोड़ दी है।

डीडीए की लापरवाही, बिल्डरों का फायदा : द्वारका की बात करें तो वर्ष 1990 के आसपास यहां पर फ्लैट बनने शुरू हुए, लेकिन अभी तक यहां की परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका। यहां के निवासियों को सिर्फ एक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की सुविधा मिली है जबकि तीन बनने थे। गोल्फ कोर्स का निर्माण अभी चल ही रहा है। अगर तय समय में योजना को हकीकत का रूप नहीं दिया जाएगा तो हम आगे की बात कैसे कर सकते हैं। एक ही योजना में डीडीए वर्षों तक लगा रहता है और समय के साथ योजना में आ रही लागत भी बढ़ती जाती है। जिसका बोझ आम जनता पर ही पड़ रहा है। डीडीए की लापरवाही का लाभ इलाके के बिल्डरों ने समय के साथ तेजी से उठाना शुरू कर दिया। अनधिकृत इलाके में बिल्डर 50 से 100 गज की जमीन पर आठ-आठ फ्लैट बनाकर कम दामों पर बेचने लगे। देखते ही देखते 1700 से ज्यादा कालोनियां बना दी गईं। इन फ्लैटों में न तो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया और न ही पार्क, अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं दी गईं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो अपने आशियाने की तलाश में थे, उनके पास यहां पर फ्लैट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे में एक के बाद एक कालोनियां बसती चली गईं और राजधानी का विकास अनियोजित तरीके से होने लगा।

-भगवान झा से बातचीत पर आधारित

नेताओं का रखा खयाल, जनता बेहाल

- डीडीए की विभिन्न कमेटियों में नेताओं को सदस्य बनाया जाता है जो अपने फायदे के लिए डीडीए अधिकारियों पर मनमुताबिक योजना बनाने का दबाव डालते हैं
- नेताओं के प्रभाव में आकर डीडीए अधिकारी आम जनता के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं
- विकास कार्य करने वाली संस्थाओं की कमेटियों में नेताओं को सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे योजना प्रभावित होती है, साथ ही तय समय में इसे पूरा करने में भी कठिनाई आती है
- डीडीए को अपनी योजना का प्रारूप बदलना होगा। इसमें कम लागत में लोगों को आवास देने की योजना ज्यादा बनानी होगी तभी सुनियोजित विकास की ओर कदम बढ़ सकता है
- डीडीए का अन्य विभागों के साथ तालमेल नहीं होना भी योजना की गति को बाधित करता है। ऐसे में योजना बनाने के दौरान ही डीडीए को चाहिए कि अन्य विभागों के साथ बैठक कर सभी परेशानी को दूर कर लिया जाए
- इसके बाद ही योजना को आगे बढ़ाया जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है

योजनाओं का पुलिंदा

2014 से 2022 तक 53,932 फ्लैट्स आफर किए

2014 से शुरू हुआ फ्लैट वापसी का सिलसिला।

23.60 लाख घर बनाने के सरकार को 1962 से लेकर 2001 तक, बनाए सिर्फ 10.99 लाख घर ही बनाए।

लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ

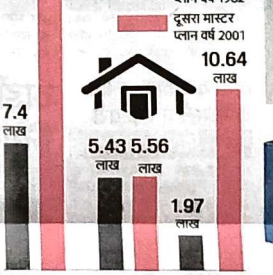

लक्ष्य से पिछड़े : 2001-2021 के 20 वर्षों में ही उन्हें 24 लाख घर बनाने थे जो नहीं बनाए गए।

अब फिर निर्धारित किया लक्ष्य

34.5 लाख आवासीय इकाई बनाने का दावा मास्टर प्लान 2041 में 20 वर्षों के लिए किया जा रहा है।

तीसरा मास्टर प्लान (2001-2021)

- 24 लाख घर बनाने का दावा किया गया और इसी मास्टर प्लान में लोगों को प्लाट (जमीन) की जगह बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट देने की बात कही गई।
- वर्ष 2010 में नई आवास नीति के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का गठन किया गया और तय किया गया कि जो भी झुग्गी बस्ती तोड़ी जाएगी, वहां के बेदखल लोगों को इसी नीति के तहत फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

2021 के मास्टर प्लान के प्रविधान

15 से 25 लाख अनियोजित कालोनी में फ्लैट की कीमत

30 से 40 लाख में उतना ही बड़ा फ्लैट डीडीए पाकेट में मिलेगा।

15 से 25 लाख रुपये के बजट में डीडीए को तैयार करने चाहिए घर।

स्कूल
2,060 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1,684 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

स्वास्थ्य सेवा (बिस्तर)
97,800 लक्ष्य — 20,572 उपलब्ध

औषधालय
2060 लक्ष्य — 520 उपलब्ध
औषधालय (एमसीडी और मोहल्ला क्लीनिक सहित)

जल : 2,060 यूएचटी (ओवरहेड टैंक) और यूजीआर (अंडरग्राउंड जलाशय) के माध्यम से संचालित करना या दिल्ली जल बोर्ड को। लेकिन, विभिन्न आकारों के केवल 617 यूजीआर ही हैं।

परिवहन : 62 बस डिपो का प्रविधान, अभी 46 ही हैं।

व्यावसायिक गतिविधियां : 41 जिला केंद्र होने चाहिए थे, सात का निर्माण करने में सफल रहा है।

आखिर क्यों जरूरत थी

- दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 में दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था।
- डीडीए ने दिल्ली के व्यवस्थित और तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शहर 11 मिलियन से अधिक लोगों की पसंद का निवास बन गया है और चंद संख्या लगातार बढ़ रही है।

क्या है जिम्मेदारी

डीडीए आवास परियोजनाओं, वाणिज्यिक भूमि, भूमि प्रबंधन, भूमि निपटान, भूमि पूलिंग और भूमि लागत आदि की योजना, विकास और निर्माण के लिए जिम्मेदार है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, JULY 13, 2022

Capital ready to get first-ever 3 coach train network

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, JULY 12

IN A first, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has planned to start a 'three-car' Metro train service from Narela to Rithala section, said Metro chief Vikas Kumar, adding that recommendations have been sent to the Centre for approval.

Earlier, to cut costs, the Metro had planned to build a metrolite corridor under Phase IV project to connect Northwest Delhi with the outskirts of the national capital. However, now with the Delhi Development Authority's (DDA) upcoming plan to develop Narela sub city and transit-oriented development (TOD) project, the DMRC has planned to go for normal train network constructing a three-coach train platform with a provision to ply six cars.

Giving details about the project, Kumar said that the DMRC will have a proper Metro but initially it will construct three-coach train platforms and later extend the facility to run six-coach trains in future.

Kumar, however, added that these are currently proposals and things will be finalised only after the Centre accords its approval. The three-car train runs in Haryana under Rapid Metro corridor but it will be the first in Delhi.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JULY 13, 2022

No Metrolite, Rithala-Narela corridor to have 3-coach trains

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has revised its plan of constructing a Metrolite system on the Narela-Rithala corridor. It now plans to run Metro trains with three coaches on the stretch and has submitted a proposal to the Centre and Delhi government in this regard.

DMRC MD Vikas Kumar said Metrolite was initially proposed considering the low ridership, but they have now revised their proposal.

A DMRC official said the new proposal recommends using conventional trains with three coaches on the route as the Delhi government is planning to make transit-oriented hub for better connectivity. There would be a provision to convert the trains to six-coach ones if required in the future.

"The plan was revised as it was thought that Metrolite may not be able to cater to increased demand in the future," the official stated further. Metrolite are trains with smaller articulated coaches.

If this proposal gets approval, this would become the first metro in Delhi to have just three coaches. However, metro with three coaches is already operational in Haryana.

TOI had earlier reported that DDA had released Rs 130 crore to DMRC for the construction of the proposed Rithala-Narela corridor as part of Phase IV.

Meanwhile, the pandemic may affect the timeline of Phase-IV expansion. DMRC officials said the timeline for two corridors (Aerocity to Tughlaqabad and Janakpuri West to RK Ashram) may be reviewed owing to Covid-induced scenario. The Majlis Park-Maujpur corridor is expected to be completed on schedule by November 2024.

An official said that on the Majlis Park-Maujpur corridor, 27 per cent work has been completed so far.

MCD to plant nearly 85,000 trees, 5 lakh shrubs in a year

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: With a target to plant nearly 85,000 trees and 5.2 lakh shrubs this year, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) has intensified the plantation drive at its various properties.

According to an official, it has already met 5-6% of the target since the beginning of the exercise in June. The drive will continue till the end of this financial year, but major plantation will be done during the monsoon. "We have submitted a total target for planting 85,000 saplings of indigenous trees and over 5 lakh shrubs and decorative plants. Till June 30, 3,508 trees and 7,645 shrubs have been planted," MCD claimed.

As colony parks are already full, the focus is on the sites transferred to MCD from Delhi Development Authority, municipal roads, dispensaries, hospitals and municipal institutions, it added.

To ensure regular supply of water, the department has dedicated water tankers for the places where tubewells are not available for various reasons.

"For east Delhi, the target is 20,000 trees in Shahdara North and Shahdara South, and 80,000 shrubs. We have prepared 25,000 saplings of indigenous breeds at our nurseries and about 45,000 shrubs. The plantation has already started," said an official.

In both zones, there are plans to develop five mini-forests in Nand Nagri, Sunder Nagri, Yamuna Vihar and Welcome.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 13 जुलाई 2022

सरकारी जमीन से हटा कब्जा, लोगों ने विधायक का जताया आभार

■ विस, नई दिल्ली : ग्रेटर कैलाश में करोड़ों की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे मुक्त करवाए जाने पर ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली इलाके में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। इसमें चिराग दिल्ली, शाहपुर जाट, जमरूदपुर समेत आसपास अन्य इलाकों के लोगों ने विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को सम्मानित करते हुए उनका आभार जताया।

बताया गया है कि भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 1250 वर्ग गज की सरकारी जमीन को पहले अपने नाम कराया और फिर उसे बेच दिया। अवैध रूप से कब्जा करने के बाद सरकारी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी खड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों ने दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति से इसकी शिकायत करके अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी। इस सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसकी रजिस्ट्री करवाने के आरोप में पिछले दिनों एक सब-रजिस्ट्रार समेत कुछ अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। यह जमीन सालों से चिराग दिल्ली गांव की शामलात जमीन थी और इसके नजदीक ही गांव का श्मशान घाट भी था। मामले की जांच जारी है और दो दिन पहले राजस्व विभाग ने डीडीए के साथ मिलकर इस जमीन की चारदीवारी को गिराकर जमीन से कब्जा हटाया है।

लोगों की ओर से चिराग दिल्ली में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया

हिन्दुस्तान

वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत रोहिणी विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने मंगलवार को किया। इस अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2022

सेंट्रल रिज से हटाए जा रहे विलायती कीकर

दैनिक जागरण ने चलाया था अभियान, दिल्ली सरकार ने दिया था 12.21 करोड़ रुपये का बजट

जागरण प्रभाव

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

देर आए, दुरुस्त आए... लंबी रस्साकशी के बाद अंततः सेंट्रल रिज से विलायती कीकर को हटाने का काम शुरू हो गया है। पर्यावरणविद प्रो. सीआर बाबू के सुझाव पर इसे उसी तकनीक से काटा जा रहा है, ताकि वह दोबारा पनप न सके। कीकर के अवशेषों से वर्मी कंपोस्ट (खाद) बनाने की तैयारी भी है। मालूम हो कि दैनिक जागरण ने विलायती कीकर को हटाने के लिए कई बार समाचार पत्र के जरिये अभियान चलाया, जिसे दिल्ली सरकार का भी साथ मिला। पिछले साल जनवरी में सरकार ने इस कार्य के लिए 12 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट भी मंजूर किया था।

जानकारी के मुताबिक 1483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली दिल्ली का 20.22 फीसद क्षेत्र हरित है। इस 20.22 फीसद क्षेत्र में से 60 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र में विलायती कीकर लगा है और यह सबसे ज्यादा रिज क्षेत्र में ही फैला है। 7,777 हेक्टेयर का रिज क्षेत्र चार हिस्सों- नार्दर्न रिज, साउदर्न रिज, सेंट्रल रिज और साउदर्न-सेंट्रल रिज में बंटा है। रिज क्षेत्र भी आधा दर्जन से भी अधिक विभागों एवं एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जानकारी के मुताबिक वन विभाग के पास सेंट्रल रिज में अन्य विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा हिस्सा है। अतः पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विलायती कीकर हटाने के अभियान की शुरुआत यहीं से करने पर सहमति बनी। यहां पहले चरण में वन विभाग के अधीन आने वाली 423 हेक्टेयर भूमि से विलायती कीकर और झाड़ियों को हटाकर बायो डायवर्सिटी पार्क की तर्ज पर स्वदेशी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। यह प्रक्रिया पांच साल में पूरी की जाएगी। विडंबना यह कि दिल्ली सरकार ने बजट पास कर दिया और वन विभाग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के वनस्पति विज्ञानी प्रो. सीआर बाबू की अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति भी बना दी, लेकिन विलायती कीकर को हटाने के तरीकों पर समिति के सदस्यों में मतभेद हो गया। समिति के एक सदस्य प्रदीप कृष्णन का कहना था कि विलायती कीकर को जड़ समेत न हटाकर ऊपर से काटना-छांटना अस्थायी तरीका है। इससे हर तीसरे साल दोबारा कटाई-छंटाई की नौबत आ जाएगी। यह विवाद सालभर तक चलता रहा जिससे काम शुरू नहीं हो सका। इसके बाद प्रो. सीआर बाबू ने समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता दिखाई और प्रो. बाबू के सुझावों पर ही काम शुरू करने का निर्णय लिया गया।

सराहनीय पहल >> संपादकीय

सेंट्रल रिज में विलायती कीकर हटाने के अभियान की जानकारी देते दिल्ली के प्रधान मुख्य वन सरक्षक सीडी सिंह, वन सरक्षक सुरभि राय व अन्य अधिकारी ● जागरण

सेंट्रल रिज में विलायती कीकर की लैंटाना प्रजाति के टुकड़ों का ढेर, जिससे बनाई जाएगी वर्मी कंपोस्ट ● जागरण

दिल्ली सरकार की मंजूरी सेंट्रल रिज पर 423 हेक्टेयर में विलायती कीकर हटाकर लगाए जाएंगे स्वदेशी प्रजातियों के पौधे

विलायती कीकर के कैंसर की होगी 'सर्जरी'

29 जनवरी, 2021 को प्रकाशित खबर ●

एक साल तक उलझे रहे सलाहकार, अब सख्त हुई केजरीवाल सरकार

एक फरवरी, 2022 को प्रकाशित खबर ●

जड़ समेत हटाने में है यह अड़चन

दिल्ली वृक्ष अधिनियम 1994 पेड़ को जड़ से काटने की अनुमति नहीं देता। विलायती कीकर को वन व हरित क्षेत्र बढ़ाने को लगाया गया था। इसे जड़ से काटने पर दोनों क्षेत्र घट जाएगा।

किसके पास सेंट्रल रिज का कितना हिस्सा

कुल क्षेत्रफल	869 हेक्टेयर
वन विभाग	423 हेक्टेयर
सेना	202 हेक्टेयर
डीडीए	85 हेक्टेयर
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)	37 हेक्टेयर
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)	25 हेक्टेयर
विदेश मामलों का मंत्रालय (एमएचए)	छह हेक्टेयर
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	तीन हेक्टेयर
रेलवे	11 हेक्टेयर
भू-संपदा अधिकारी (एल एंड डीओ)	70 हेक्टेयर

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने सेंट्रल रिज से विलायती कीकर हटाने की शुरुआत कर दी है। यहां छोटे-छोटे तालाब भी बनाए जाएंगे। कीकर के पेड़ों को जड़ से नहीं काटकर ऊपर से काटा जाएगा। फिर इसके टुकड़े कर उससे खाद बनाई जाएगी। यहां की सफलता के बाद अन्य हिस्सों से भी विलायती कीकर हटाए जाएंगे।

-गोपाल राय, वन एवं पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार

वन विभाग ने शुरू किया काम

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वन विभाग ने 10 हेक्टेयर क्षेत्र में काम शुरू कर दिया है। विलायती कीकर की लैंटाना प्रजाति को जड़ समेत काटा जा रहा है, जबकि अन्य प्रजातियों की कैनोपी (वर्षावन में पाए जाने वाले पेड़ों की घनी पत्तियों का जाल) को खोला जा रहा है। उसके बाद नीचे की खरपतवार हटाकर वहां स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे बढ़ने पर विलायती कीकर को छाया देंगे जिससे सूरज की रोशनी न मिलने पर वह मरने लगेगा। यहां दो जलाशय भी विकसित किए जा रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी NAME OF NEWSPAPERS---------- राष्ट्रीय सहारा ----------DATED---13/07/2022

विजेन्द्र गुप्ता ने की वन महोत्सव की शुरुआत

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत मनाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान की मंगलवार को दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं रोहिणी के विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने रोहिणी के जिला उद्यान में अपने हाथों से वृक्ष लगाकर शुरुआत की। इस अवसर पर डीडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। गुप्ता ने बताया कि वृक्षारोपण का यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी हमारी प्राथमिकताओं में अहम होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, पार्क, मोहल्ले में वृक्ष लगाकर जीवन पर्यन्त उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लें और सभी हरित दिल्ली को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उपस्थित लोगों को स्वच्छ एवं हरित भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को साकार करने का संकल्प दिलाया।

दक्षिण पूर्वी जिला डीएम कार्यालय में हुई बैठक

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति (डीआईएसएचए) की बैठक का आयोजन केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद मीनाक्षी लेखी, सांसद रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में दक्षिण पूर्वी जिले की जिलाधिकारी, सेंट्रल जोन उपायुक्त एमसीडी, एवं राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व जिले से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विभिन्न विभागों द्वारा लागू की जा रही भारत सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश पारित किए गए। मीनाक्षी लेखी ने अमृत और स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं के संबंध में एमसीडी और डीडीए के अधिकारियों के साथ चर्चा की। रमेश बिधूड़ी ने उचित मूल्य की दुकानों के प्रदर्शन की समीक्षा की और एसडीएम को ई-पास मशीन के संचालन के संबंध में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ईशा खोसला ने योग दिवस के उत्सव, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर दक्षिण पूर्वी जिले के एडीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह और अजय चतुर्वेदी एसडीएम मुख्यालय भी मौजूद रहे।

डीडीए का पौधरोपण अभियान शुरू

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा विधायक एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को प्राधिकरण के वन महोत्सव एवं पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रोहिणी स्थित जिला उद्यान में एक पौधा भी लगाया। यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। इस मौके पर बागवानी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सरंक्षण हमारी प्राथमिकता में रहना चाहिए। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वह वह अपने-अपने घरों में, पार्क एवं मोहल्ले में अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल भी करें। उन्होंने सभी से आग्रह है कि इस अभियान में सभी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---अमर उजाला---DATED---13/07/2022

चलने से पहले ~~मेट्रो लाइट~~ बेपटरी, सामान्य ट्रेनें चलेंगी

मेट्रो फेज-4

रिठाला-नरेला रूट पर मेट्रो प्रबंधन ने लिया यू-टर्न

बदलाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी के बाद शुरु होगा काम

सर्वेश कुमार

नई दिल्ली। रिठाला-बवाना-नरेला रूट पर मेट्रो लाइट चलने से पहले ही बेपटरी हो गई है। इसकी जगह सामान्य मेट्रो ट्रेन हमसफर बनेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। बदलाव की वजह प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास तेजी से हो रहा विकास है।

पहले तीन कोच की चलेंगी मेट्रो, यात्रियों की संख्या के बाद बढ़ाए जाएंगे कोच

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इस इलाके में आवासीय योजनाएं ला रहा है। वहीं, बवाना और नरेला के औद्योगिक क्षेत्रों सहित कई और सुविधाएं हैं। मेट्रो की सुविधा होने से हजारों लोगों के लिए रोजाना अपने दफ्तर, फैक्टरी, अस्पताल सहित दूसरे जरूरी काम को पूरा करना भी आसान होगा। बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए इस क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। यात्रियों की सहूलियत के लिए शुरुआत में तीन कोच की मेट्रो का परिचालन होगा। बाद में जरूरत के मुताबिक कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि अब रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर पर मेट्रो लाइट के बजाय दूसरी लाइनों की तरह ही मेट्रो चलेगी। वक्त के साथ इस क्षेत्र में काफी बदलाव हो रहा है। डीडीए की ओर से आवासीय परियोजनाओं के तहत हजारों फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए मेट्रो लाइट चलाने की योजना थी। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद को देखते हुए स्टेशनों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मास्टर प्लान-2041 के लिहाज से इस क्षेत्र में टीओडी की संभावना है। इससे यात्रियों को घर से मेट्रो, मेट्रो से दफ्तर या फैक्टरी, मॉल्स सहित तमाम जरूरी सुविधाएं भी इसी मेट्रो रूट पर उपलब्ध होंगी। रिठाला-बवाना-नरेला के बीच करीब 22.91 किलोमीटर में मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। डीएमआरसी के इस प्रस्ताव पर केंद्र की मंजूरी मिलने पर कॉरिडोर पर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

ये हैं वजह

- कॉरिडोर के आसपास के इलाकों का तेजी से हो रहा है विकास
- आवासीय समेत टीओडी प्रोजेक्ट ला रहा है डीडीए

नरेला पॉकेट 7 स्टेशन
आईजीएल सीएनजी पंप
डीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र
अनाज मंडी स्टेशन
सनपथ स्टेशन बवाना
बवाना स्टेशन
पूठ खुर्द स्टेशन
बस डिपो सेक्टर-37 रोहिणी
रोहिणी
रिठाला

22.91 किमी में होगा संचालन

टीओडी से बढ़ जाएंगी सहूलियतें

टीओडी के तहत वाणिज्यिक, रिहायशी सुविधाएं आसपास होती हैं। इससे लोगों को कम से कम परिवहन साधनों का इस्तेमाल कर भी गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मुहैया की जाती है। इस क्षेत्र में चल रही निर्माण गतिविधियों और आगामी परियोजनाओं को देखते हुए मेट्रो सेवा की शुरुआत से रोजाना लाखों यात्रियों की सहूलियतें बढ़ जाएंगी। गंतव्य तक कम वक्त में बगैर परेशानी पहुंच सकेंगे। सरकार भी एजेंसियों के साथ मिलकर टीओडी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए मुफीद

कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए मेट्रो लाइट एक हल्की मेट्रो है। इसमें कोच की संख्या कम होती है और सड़क के साथ-साथ बने हुए ट्रैक पर चलती हैं। कम दूरी और कोच कम होने के कारण इसमें यात्रियों की क्षमता भी कम होती है। अलग ट्रैक पर चलने के कारण यात्रियों को न तो ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता और न ही गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। मेट्रो लाइट की रफ्तार भी 50-60 किमी प्रति घंटे के करीब होती है और इसे फीडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

फेज-4 के तीन कॉरिडोर को मंजूरी का इंतजार

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तीन कॉरिडोर (एयरोसिटी-तुगलकाबाद, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम और मौजपुर-मजलिस पार्क) पर फिलहाल निर्माण चल रहा है। शेष तीन कॉरिडोर पर अभी तक केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। इनमें इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक (12.37 किमी), लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक (8.38 किमी) और रिठाला-बवाना-नरेला (22.91) के बीच करीब 40 किलोमीटर के दायरे में तीन कॉरिडोर तैयार होंगे। यात्रियों की कम संख्या और सामान्य मेट्रो से 40 फीसदी कम खर्च को देखते हुए रिठाला-नरेला लाइन पर मेट्रो लाइट की योजना थी, लेकिन अब इसको बदला जा रहा है।

दफ्तर हो या घर...आसान होगा गंतव्य तक पहुंचना

मेट्रो प्रबंधन यात्रियों को देगा ई-ऑटो की सुविधा

अमर उजाला ब्यूरो

फाइल फोटो

नई दिल्ली। अब मेट्रो स्टेशन से दफ्तर या घर पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। यात्रियों की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने पहली बार कदम बढ़ाया है। मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों की सहूलियत के लिए ई-ऑटो की सुविधा शुरू की जाएगी। पहले चरण में द्वारका के सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन से 50 ई-ऑटो अगस्त तक चलने लगेंगे। अगले चार महीने में दिल्ली के शेष मेट्रो स्टेशनों से ऐसे 663 ई-ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

दिल्ली मेट्रो की तरफ इलेक्ट्रिक फीडर बस सेवा की पिछले साल शुरुआत की गई थी। बसें तयशुदा मार्ग पर चलने लगीं, लेकिन यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंच के लिए माकूल परिवहन विकल्प नहीं मिला। ऊपर से इन बसों में क्षमता से काफी कम यात्री होने से डीएमआरसी को नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। इससे निपटने और यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी ने ई ऑटो चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के बीच सहमति के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। तय किया गया है कि निजी एजेंसियों के साथ मिलकर ई- ऑटो का परिचालन किया जाएगा। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि सबसे पहले द्वारका के सेक्टर-9 मेट्रो स्टेशन से 50 ई-ऑटो का परिचालन शुरू होगा। इसके बाद चरणों में द्वारका के दूसरे सेक्टरों सहित पूरी दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों की सुविधा के लिए 663 ई-ऑटो संचालित होंगे।

50 ई-ऑटो द्वारका सेक्टर-9 से पहले चरण में चलेंगे

663 ई-ऑटो चार महीने में चलाने की तैयारी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE HINDU DELHI WEDNESDAY, JULY 13, 2022 --------DATED----------

A new judicial device for 'complete justice'

India's top court cannot be seen to be helpless when faced with issues of individual liberty

KALEESWARAM RAJ

Mohammed Zubair, the co-founder of Alt News, continues to be in prison despite the Supreme Court of India, last Friday, granting him interim bail, because of remand in another case by the Delhi police. The Court was aware of the futility of the bail order. Yet, the Court did not direct his release by granting him bail in the other case too.

The order relates to a case challenging the Allahabad High Court's judgment refusing to quash the First Information Report (FIR) against Mr. Zubair. The charge was under Section 295A of the Indian Penal Code (IPC) – outraging religious feelings ... by insulting religion or religious beliefs. Later, a charge under Section 153-A IPC, of promoting religious enmity, was added.

It was explained to the Court that there was not even a *prima facie* case against Mr. Zubair. Also, it was shown that the case itself was a device to crush dissent. The political malice behind the charge was very obvious. The Court also seemingly accepted the contentions, as evident from the grant of bail. Yet, the Court said the order was with respect to only the case registered in Uttar Pradesh. This has meant the continued detention of Mr. Zubair.

Challenges before judiciary

The Supreme Court of India is regarded as the world's most powerful top court, on account of its wide power of judicial review. It has the jurisdiction to issue writs under Article 32 of the Constitution. It also has the original jurisdiction under Article 131 of the Constitution. There is also wide appellate power under Articles 132, 133, 134 and 136 of the Constitution. More significantly, the Supreme Court has the power to "make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it", as per Article 142 of the Constitution. Yet, the top court has shown itself to be helpless when issues of individual liberty have been placed before it on very many occasions. Many political prisoners languish in prison after their bail pleas have been repeatedly rejected by different courts. The executive is able to register multiple FIRs in different States of India so as to ensure that the dissident is not released from prison even if bail is granted in some of the cases. Thus, the jail jurisprudence of the executive effectively surpasses the Court's bail jurisdiction. Reports say that after the Supreme Court's order, another warrant was issued against Mr. Zubair by a local court in Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh. This scenario, which reflects the new normal in the country's criminal jurisprudence, poses crucial challenges to the judiciary.

The Supreme Court cannot afford to be conventional if it really wants to tackle this situation where an aggrandising executive hunts its opponents in a systematic and incremental way. Conventional legal wisdom proclaims that every criminal case is a case which requires to be dealt with as such and taken to its logical conclusion. Even in Mr. Zubair's case, the contention of the Solicitor General of India was that "any order passed by (the Supreme) Court (in this case) will interdict four judicial orders passed by two courts which have not been challenged". It is the Court's inability to overcome this line of argument by invoking the spirit of Article 142 that led to the ironic predicament of Mr. Zubair being in jail, despite the grant of the 'interim bail'.

The practice of registering multiple FIRs is extremely problematic. In the context of free speech, American legal scholar Professor Vincent Blasi identifies "historical

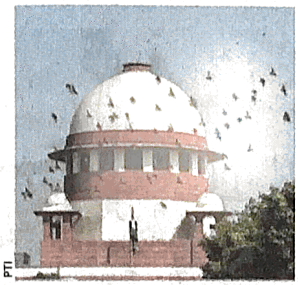

PTI

periods when intolerance of unorthodox ideas is most prevalent and when governments are most able and most likely to stifle dissent systematically". The situation in India is illustrative.

More 'rule by law'

The criminal justice system in such tough times degenerates into rule by law, that replaces rule of law. The law becomes an effective device in the hands of the Government for the purposes of a witch-hunt and this operates against the opponents of a regime, as a class. In this scenario, if the Court erroneously presumes that the nation's legal system is governed by the principle of rule of law, fallacies and unjust consequences are bound to occur. In such a legal ambience, it will be equally fallacious to treat each case as isolated, as in reality, it is not so. Climatic changes in a nation's constitutionalism are a hard reality which no court can ignore.

Even in challenging times, a constitutional court should be able to evolve a mechanism of its own to preserve the democratic foundation of the country by intervening in the incremental process of nation's "deconstitutionalisation". Professor of law Rosalind Dixon in a recent study says that "at least under certain conditions – of sufficient independence, political support and remedial power – courts can too play an important role in buttressing democratic processes and commitments", and this, according to her, "is the essence of responsive judicial review". The constitutional courts in Colombia and Brazil have developed the new doctrine of "unconstitutional state of affairs". This enables the court to address structural deficits with a sense of realism and to pass effective orders even by deviating from procedural rigour, with a view to protect fundamental rights. This is, in certain ways, akin to the practice of Public Interest Litigation (PIL) in India and structural injunctions in the United States.

Create a judicial atmosphere

The courts, no doubt, may sometimes subserve the interest of the executive. This may even pose a serious threat to personal liberty, as it happened recently in its observations against activist Teesta Setalvad and former police officer R.B. Sreekumar. But in certain rare situations, it could still act as a determined umpire who checks the executive's excesses. The Supreme Court's intervention in the Centre's COVID-19 vaccine policy and the Pegasus episode illustrates this point. The need is to expand the latter approach and to create and perpetuate a democratic judicial atmosphere that supports the cause of freedom.

At least in principle, the Indian Supreme Court is constitutionally equipped with the power to invoke its jurisdiction for the larger cause of liberty, even by deviating from the conventional technical route. The "complete justice" under Article 142 is meant to be used when the legalistic arguments such as those raised by the state in Mr. Zubair's case have the effect of sabotaging the goal of constitutional justice. The Court needs a new version of judicial activism, which the Court itself evolved, in the 1980s.

The genesis of Article 142 shows that the makers of the Constitution have consciously incorporated this provision by drastically modifying the earlier corresponding provision in the Government of India Act, 1935. The Government of India Act, by way of Section 210(2), only said about the enforceability of the orders of the Federal Court. It did not, naturally, contain an idea of complete justice in the constitutional sense. Article 142, on the other hand, arms the Supreme Court with this supplemental power.

The interpretation of the scope of this provision has been varied, and sometimes even conflicting. Some judgments pleaded for its restrictive use while some others did for its liberal and contextual application. In *Delhi Development Authority vs Skipper Construction Company* (1996), the top court said that the power under Article 142 should remain "undefined and uncatalogued, so that it remains elastic enough to be moulded to suit the given situation".

Treat them as a class

It is essential for the Supreme Court of India to treat political prisoners and dissenters facing multiple FIRs and undergoing unjustifiably long incarceration as a class. It needs jurisprudence at the normative level to tackle the technical arguments that create a false notion of rule of law when the very cause of arrest and detention is the lack of it. When a glaring instance of curtailing a person's freedom is placed before the top court, it should be capable of calling for the records pertaining to the multiple FIRs and to *suo motu* add all the stakeholders as parties (if needed); the Court should immediately ensure that vindictive incarceration does not continue even for a day. This might be difficult, yet not impossible. Mr. Zubair's case is one (like many other cases in the past) that demonstrates the juridical deficits of today's Supreme Court. It is, therefore, an imperative to evolve an effective jurisprudence of "complete justice" by focusing on personal liberty. It is the praxis of this new judicial device that can, perhaps, preserve the country's democratic legacy.

Kaleeswaram Raj is a lawyer at the Supreme Court of India